भारत संचार निगम लिमिटेड
स्थापना शाखा,पीएटी अनुभाग,
5वां तल, भारत संचार भवन,
हरीश चन्द्र माथुर लेन,
नई दिल्ली - 110001

भारत संचार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED

(A Govt. of India Enterprise)

पत्र संख्या: 1-15/ 2019-पीएटी(बीएसएनएल) दिनांक - 08.11.2019

सेवा में,

सभी परिमंडल प्रमुख,
भारत संचार निगम लिमिटेड।

विषय: बीएसएनएन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2019 - योजना की अधिसूचना तथा कर्मचारियों के विकल्प प्रस्तुत करने को सुविधाजनक बनाने के लिए दिशानिर्देशों का परिचालन।

संदर्भ: पत्र संख्या: 1-15/ 2019-पीएटी(बीएसएनएल), दि. 04.11.2019

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 04.11.2019 के सम संख्यक पत्र संख्या (अंग्रेजी संस्करण) का अवलोकन करें जो बीएसएनएन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019 से संबंधित है। तत्संबंधी दिशानिर्देशों का हिन्दी संस्करण आपको आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया जा रहा है। (अंग्रेजी संस्करण एवं हिन्दी संस्करण में अर्थ वैभिन्न्य होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा) ।

(अजय कुमार सिंह)
उप महाप्रबंधक(स्थापना-II)

संलग्न: यथोक्त ।

वर्तमान नियमों के अनुसार स्थाई निवास के स्थान पर यात्रा के लिए टीए/ डीए का हकदार होगा।

(एफ) स्टाफ क्वार्टर का प्रतिधारण(रिटेंशन) : इस योजना के तहत सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी (कर्मचारियों) समय-समय पर संशोधित मौजूदा नियमों के अनुसार, स्टाफ क्वार्टर के प्रतिधारण(रिटेंशन) का हकदार होगा।

(जी) अन्य सुविधाएं / पात्रताएं (आवासीय टेलीफोन कनेक्शन, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा सुविधाएं इत्यादि) समय समय पर संशोधित मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित की जाएंगी।

7. प्रक्रिया:

(i) पात्र कर्मचारी(कर्मचारियों) को निर्धारित अवधि के दौरान योजना के तहत और योजना के प्रावधानों के अनुसार सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने के लिए विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(ii) विभागीय/न्यायिक कार्यवाही का सामना कर रहे कर्मचारी (कर्मचारियों) का वीआरएस विकल्प स्वीकार किया जाएगा और अर्जित अवकाश नकदीकरण, स्थानांतरण अनुदान, जीपीएफ/ सीपीएफ और पेंशन को सीसीएस पेंशन नियम 1972 के नियम 69 के अनुसार अनंतिम रूप से(प्रोविजनली)जारी किया जाएगा।

बशर्ते कि एक्स-ग्रेशिया और ग्रेच्युटी का भुगतान सतर्कता/ अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम के आधार पर और निष्कर्ष के आधार पर ही जारी किया जाएगा।

(iii) इस योजना के तहत एक बार उपयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा और सक्षम प्राधिकारी का निर्णय संबंधित कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए बाध्यकारी होगा।

बशर्ते कि विकल्प के अंतिम समय और तिथि तक कर्मचारी को किसी भी समय केवल एक बार विकल्प वापस लेने की अनुमति होगी।

बशर्ते कि लिखित में हस्ताक्षरित प्रति के साथ विकल्प वापिस लेने का अनुरोध ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

(iv) खंड 3 (सी) में परिभाषित(डिफ़ाइंड) के अनुसार इस योजना के तहत विकल्प की स्वीकृति हेतु प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी माना जाएगा ।